

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1702/ग्यारह-2-25-9(47)/17-टी.सी.-287-उ० प्र० अधि०-1-2017-आदेश-(359)-
2025

लखनऊ: दिनांक: 20 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, का यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा, अधिसूचना संख्या का० नि०-2-395/ग्यारह-9(47)/17-उ० प्र० अधि०-1-2017-आदेश(116), दिनांक 07 मार्च, 2018, में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, शब्द, कोष्ठक और अंक " अधिसूचना संख्या का० नि०-2-836/ग्यारह-9(47)/17-उ० प्र० अधि०-1-2017-आदेश(06), दिनांक 30 जून, 2017 की अनुसूची IV" के स्थान पर, निम्नलिखित अर्थात् "अधिसूचना संख्या-1699/ग्यारह-2-25-9(47)/17-टी.सी.-284-उ० प्र० अधि०-1-2017-आदेश-(362)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 की अनुसूची II या अनुसूची III " रख दिया जाएगा।

1. यह अधिसूचना तारीख 22 सितंबर, 2025 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

(एम० देवराज)

प्रमुख सचिव।

Digitally signed by
M.Devaraj
Date: 20-09-2025
22:07:40